

५२
२१

आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता
द्वारा प्राथमिक पत्र पेश करने पर
पेशी में ली गई। प्राथमिक पत्र में
निवेदन किया गया कि उक्त अनवान
प्रकरण में पुनर्कारण का आपस
में राजीनामा हो गया है। वादी प्रकरण
में आगे कायवाही नहीं चाहते। इसलिए
पत्रावली आज पेशी में ली जाकर
दाखिल दफ्तर की जावे।

वादी अधिवक्ता को सुना गया
व पत्रावली का अवलोकन किया
गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र
अनुगति द्वारा 88, 188, 91, 92A RTA
नोटिस करने पर इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली
निर्णय नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Not Press
Shah
4/2/2022